

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीतारीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :-25/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण *
1. मगाराम पुत्र शोभाराम		1. गोपीदेवी पत्नि पूर्णदान जाति चारण
2. देराजराम पुत्र शोभाराम		2. राणाराम पुत्र बीजाराम जाति कुम्हार
3. धुडाराम पुत्र शोभाराम		3. टीपूदेवी पत्नी केशराराम जाति जाट
4. रामाराम पुत्र शोभाराम		4. तनसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत
5. हजारीराम पुत्र शोभाराम		4/1 जोगेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह
6. हनुमानराम पुत्र शोभाराम जातियान सुथार निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		4/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह
		5. दुर्जनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
		5/1 हरिसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
		5/2 विक्रमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
		5/3 हाकमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
		6. रामा पुत्र दीपाराम जाति राजपूत
		7. चम्पादेवी पत्नी मेहराराम जाति कुम्हार
		8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955

निर्णय

दिनांक-13.08.2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा नाकोडा में खेत खसरा संख्या 35 रकबा 1.8041 हैक्टियर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 18.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- खेत खसरा संख्या 35 रकबा 1.8041 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा नं.	रकबा (हेक्ट. में)	किरम भूमि	लगान (रु०)	बरंग
1.	देराजराम हि. 1/6 धूडाराम हि. 1/6 मगराम हि. 1/6 शमाराम हि. 1/6 हजारीराम हि. 1/6 हनुमानराम हि. 1/6 पि. शोभाराम जाति सुथार सा. सिणधरी	नाकोड़ा	35	0.8171	बा.सो.	0.05	हरा
2.	चम्पा पत्नि मेहराराम जाति कुम्हार सा. सिणधरी चौसीरा	नाकोड़ा	35	0.1052	बा.सो.	0.01	नारंगी
3.	गोपीदेवी पत्नि पूर्णदान जाति चारण सा.सिणधरी	नाकोड़ा	35	0.1618	बा.सो.	0.01	लाल
4.	टीपूदेवी पत्नि केसराराम जाति जाट सा. सिणधरी	नाकोड़ा	35	0.1618	बा.सो.	0.01	भूरा
5.	तनसिंह पुत्र सुजान सिंह जाति राजपूत सा. बाड़मेर	नाकोड़ा	35	0.1618	बा.सो.	0.01	पीला
6.	दुर्जनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत सा. बाड़मेर	नाकोड़ा	35	0.1618	बा.सो.	0.01	आसमानी
7.	राणाराम पुत्र बीजाराम जाति कुम्हार सा. नया नागड़दा तहसील शिव	नाकोड़ा	35	0.1618	बा.सो.	0.01	नीला

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी
पीटासीन अधिकारी श्री जगदीशसिंह अशिका धार ए एम
उनवान

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भगाराम पुत्र शोभाराम
2. देराजाराम पुत्र शोभाराम
3. धुडाराम पुत्र शोभाराम
4. रामाराम पुत्र शोभाराम
5. हजारीराम पुत्र शोभाराम
6. हनुमानराम पुत्र शोभाराम जातियान
सुधार निवासी नाकोडा तहसील
सिणधरी जिला बालोतरा

1. गोपीदेवी पत्नी पूर्णदान जाति नारण
2. राणाराम पुत्र शोभाराम जाति कुम्हार
3. टीपूदेवी पत्नी केसराराम जाति नार
4. तनसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत
- 4/1 जोगेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह
- 4/2 राजेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह
5. दुर्जनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत
- 5/1 हरिसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
- 5/2 विक्रमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
- 5/3 हाकमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
6. रामा पुत्र दीपाराम जाति राजपूत
7. चम्पादेवी पत्नी मेहराराम जाति कुम्हार
8. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:- 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 25/2022

निर्णय दिनांक :- 13.08.2024

वादी की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण स्वयं की उपस्थिति एवं राज. पैरोकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.08.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीटासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 का प्रतिदावा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 13.08.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 13.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस			
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय			
6 कमिश्नर की फीस			
7 आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़